महत्वपूर्ण एवं खास

भालूनारा स्थित फ्लाई एश ब्रिक्स कम्पनी में हुये घटना पर 03 लोगों के विरूद्ध जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत भालूनारा में स्थित फ्लाई एश ब्रिक्स (ईंट भट्ठा) आरव इंटरप्राईजेस पर लोहे के पाईपनूमा खम्भा पर काम कराते समय बिजली करेण्ट की चपेट में आने से तीन श्रमिक जोगीराम माझी निवासी आगासमार, सुजीत ध्रुवे निवासी अमरकंटक एवं राजा राठौर पुरानी बस्ती खरसिया फौत हो गये थे जिस पर थाना खरसिया में मर्ग क्रमांक 86, 87, 88/19 धारा 174 सीआरपीसी कायम कर जांच में लिया गया । मर्ग जांच शवों का पंचनामा कार्यवाही पश्चात पीएम कराया गया है । पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मृतकों की मृत्यु हाई वोल्टेज करेण्ट लगने से होना लेख किये हैं । मर्ग जाँच पर भालूनारा में स्थित फ्लाई एश ब्रिक्स (ईंट भट्ठा) आरव इंटरप्राईजेस के पंजीकृत स्वामी किरण देवी अग्रवाल , सुपर वाईजर विकास अग्रवाल व मुंशी राजेन्द्र यादव द्वारा मृतकों से उपेक्षा पूर्वक कार्य बिना सुरक्षा प्रदान किये हाई वोल्टेज तार गुजरने के स्थान पर मृतकों से लोहे के पाईपनूमा खम्भा पर काम कराते जाने के दौरान लोहे का पाईपनूमा खम्भा हाई वोल्टेज तार में गिरा डालने से फौत होना पाया गया जिस पर उपरोक्त तीन व्यक्तियों के विरूद्ध अप.क्र. 384/19 धारा 304(ए), 34 ता0हि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

नगरीय निकाय आम निर्वाचनः वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 25 सितम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार की अध्यक्षता में जिले के नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही 25 सितम्बर को पूर्वान्ह 11 बजे से जिला कार्यालय के सृजन सभाकक्ष में किया जाएगा। जिला शहरी विकास अभिकरण रायगढ़ के परियोजना अधिकारी ने समस्त राजनैतिक पार्टी को निर्धारित तिथि एवं समय पर शामिल होने हेतु आग्रह किया है।

बायोमेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट के संबंध में कार्यशाला आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग एवं पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से जिले में संचालित समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थानों को जैव अपशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में बीएमडब्ल्यू नियम 2016 से अवगत कराया गया एवं 30 सितम्बर तक ऐसे संस्थानों जिनके द्वारा पर्यावरण विभाग में बीएमडब्ल्यू के प्राधिकार हेतु आवदेन नहीं किया गया उन्हें आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया। आवेदन नहीं करने की स्थिति में निजी संस्थानों का नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। साथ ही बिस्तर युक्त चिकित्सालयों में एस.टी.पी. एवं ई.टी.पी. 31 दिसम्बर तक लगाने के आवश्यक निर्देश दिये गये।

जिले में कुल 274 निजी स्वास्थ्य संस्थाएं है जिनमें अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथो लैब, डाग्यनोस्टिक सेंटर एवं क्लीनिक शामिल हैं, जिसमें केवल 74 स्वास्थ्य संस्थानों को पर्यावरण विभाग द्वारा प्राधिकार जारी किया गया है तथा शेष संस्थाओं में से केवल 70 संस्थाओं द्वारा आवेदन दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों के परिचालन हेतु बीएमडब्ल्यू नियम 2016 का पालन करना अनिवार्य है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी, आर. के. शर्मा (आरओ)पर्यावरण संरक्षण मण्डल, डॉ. के. डी. पासवान (नोडल अधिकारी, नर्सिंग होम एक्ट) डॉ. विकास शर्मा मास्टर ट्रेनर (बीएमडब्ल्यू), नीतिराज सिंह बायोमेडिकल इंजीनियर, मधुकर गुप्ता (जिला प्रबंधक-प्रशिक्षण), संतोष बेहरा एस.ए. एवं जिले से आये समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालक उपस्थित थे।

दहेज प्रताड़ना, ससुराल पक्ष पर जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। आवेदिका अभिलाषा गुप्ता पति आशीष गुप्ता उम्र 31 वर्ष द्वारा थाना कोतवाली में पति, सास, ससुर, ननद एवं देवर द्वारा दहेज को लेकर प्रताडित करने संबंधी दिये गये शिकायत आवेंदन पत्र पर अनावेदकगण के विरूद्ध प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया गया है ।

आवेदिका बतायी कि वर्ष 2015 को आशीष गुप्ता पिता ईश्वरचंद गुप्ता उम्र 42 वर्ष साकिन आस्था बिहार रिद्धि अपार्टमेट सी-2 भरहुत नगर सतना म.प्र. के साथ शादी सामाजिक रिति रिवाज के साथ हुई है । दहेज में परिजन जरूरत के सामान कपडा, बर्तन पलंग गददा के अलावा सोने, के तथा चांदी के जेवर लगभग तीन लाख रूपये मूल्य के दिये थे एवं तीन लाख रूपये नगद दिये थे विवाह के बाद 01 साल तक सब ठीक चल रहा था उसके बाद दहेज में कम सामान मिला है कहकर पति आशीष गुप्ता, ससुर ईश्वर चंद गुप्ता, मेरी सास मोहनी गुप्ता, बडी ननद अभिलाषा गुप्ता तथा देवर अभिषेक गुप्ता प्रताडित करने लगे दस लाख रूपये नगद एव एक कार की मांग करने लगे जिसकी पूर्ति कर पाना मायके वालों के लिए सम्भव नही था । मायके वाले अपने स्तर पर समझाने का प्रयास किये परंतु ससुरालवाले नही माने दहेज के मांग को लेकर उग्र होते गये और अमानवीय हरकत करने लगे गंदी गंदी गालिया देकर जान से मारने की धमकी देने लगे तथा मारपीट किये । आवेदिका के शिकायत पर ससुरालवालों के खिलाफ थाना कोतवाली में अप.क्र. 764/19 धारा 498(ए),34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

हॉटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला संचालकों की ली गई बैठक

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 18.09.19 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा शहर की सुरक्षा की दृष्टि से शहर के होटल ,लॉज संचालकों की पुलिस नियंत्रण कक्ष में बैठक लिया गया । बैठक में ए.एस.पी. वर्मा एवं सी.एस.पी. रायगढ़ अविनाश सिंह ठाकुर द्वारा सुरक्षा संबंधी सुझाव एवं महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है ।

ए.एस.पी. वर्मा ने होटल एवं लॉज के प्रवेश द्वार पर आवश्यक रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिये, उन्होने आगजनी की घटना से बचाव के लिए फायर सेफ्टी के उपाय एवं संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को बोले तथा प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने एवं होटल में ठहरने वाले सभी मुसाफिरों का आई डी प्रूफ, आधारकार्ड चेक कर रजिस्टर में दर्ज कर रखने को कहा गया है । सी.एस.पी ठाकुर द्वारा बैठक में कहा गया कि हॉटल में कार्यक्रम के दौरान सड़क पर वाहन पार्किंग न करायें व्यवस्था बनाने के लिये कर्मचारी रखें तथा बगैर लायसेंस लॉज में शराब पिलाते पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी । बैठक दौरान होटल, लाज, धर्मशाला संचालकों एवं मालिकों को सुरक्षा संबंधी अपने अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करने को कहा गया । बैठक में शहर के थाना प्रभारी एवं होटल अंश इंटरनेशनल, ग्रैंड ट्रिनिटी, आशीर्वाद, जानकी वाटिका, श्रेष्ठा, आमंत्रण, सुश्री, साईं श्रद्धा, जिंदल रिजेंसी, पलक, अकॉर्ड प्रीमियर, जोहल पैलेस, सनशाइन, रिलैक्स मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला, मां सावित्री ढाबा के संचालक उपस्थित थे ।

खरसिया पुलिस की जुआ तथा चक्रधरनगर पुलिस की सट्टा व आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया स्टाफ द्वारा दिनांक 17.09.19 को रात्रि गस्त में मुखबिर सूचना पर ग्राम नवापारा सार्वजनिक मंच रोड किनारे बिजली खम्भा के नीचे 52 पत्ती तास से जुआ खेलते जुआडियान 1. राजेन्द्र कुमार सिदार पिता भीमसिंह सिदार उम्र 39 वर्ष सा0 परसकोल थाना खरसिया 2. बाबूलाल सिदार पिता परसराम सिदार उम्र 28 वर्ष सा0 परसकोल थाना खरसिया 3. सुरेश कुमार सिदार पिता मनोहर सिदार उम्र 40 वर्ष सा0 परसकोल थाना खरसिया 4. अमित कुमार चौहान पिता दिलेश्वहर चौहान उम्र 38 वर्ष सा0 बांसमुडा थाना खरसिया 5. बृजलाल वर्मा पिता देवनारायण वर्मा उम्र 52वर्ष सा0 हमालपारा खरसिया थाना खरसिया को पकड़े । जिनसे जुमला नगदी रकम 3030/ रूपये, 52 पत्ती तास, एक प्लास्टीक बोरी जप्त किया गया है ।

खरसिया पुलिस द्वारा रात्रि में जुआ रेड की एक और कार्यवाही ग्राम कुनकुनी हाई स्कूल के सामने बिजली खम्भा के नीचे जुआ खेल रहे 1. कपिल राठिया पिता हलधर राठिया उम्र 22 वर्ष 2. साधुदास महंत पिता अघनुदास महंत उम्र 42 वर्ष 3. बहादुर साहू पिता चुणामणी साहू उम्र 47 वर्ष सभी साकिनान कुनकुनी थाना खरसिया को पकड़े आरोपियों के कब्जे से जुमला नगदी रकम 1650/ रूपये , 52 पत्ती तास, एक प्लास्टीक बोरी जप्त किया गया है । आरोपियों के विरूद्ध थाना खरसिया में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है ।

थाना चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा बोईरदादर के पास आरोपी अनिल देवांगन पिता तीजराम देवांगन उम्र 33 वर्ष निवासी आई.टी.आई. कालोनी अम्बेडकर आवास थाना चक्रधरनगर रायगढ को सट्टा-पट्टी लिखने की सूचना पर रेड कर पकड़े । आरोपी के पास से एक सट्टा पर्ची एवं नगदी रकम 2800 रूपये, एक चालू डाटपेन जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में धारा 4(क) साव.द्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है ।

चक्रधरनगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक लोमेश राजपूत व हमराह आरक्षक सुशील यादव, सुनील मिश्रा स्टाफ द्वारा टाऊन पेट्रोलिंग दौरान शेख अजरूद्दीन पिता शेख मोईनुद्दीन उम्र 25 वर्ष साकिन पंजरीप्लांट चक्रधरनगर रायगढ़ को प्रेमनगर क्षेत्र में तलवार लेकर तोड़ - फोड़ करते हुये लहरा रहा था जिसे मौके पुलिस स्टाफ द्वारा हिरासत में लिया गया ।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। [illegible]

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

[illegible]

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Join CAREER...

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480